रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2001/चैत्र 22, 1923
No. 237] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2001/CHAITRA 22, 1923

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2001

का. आ. 329(अ).—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने, और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं आदि पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और दिल्ली उच्च न्यायालय में शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंधित सिविल रिट याचिका सं. 4198/98 में अर्जीदार द्वारा उठाए गए आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक्तः विचार कर लिया गया है;

और केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मुद्दों की जांच कर ली है।

और केंद्रीय सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाओं तथा पाइपलाइनों, संप्रेषण प्रणालियों जिसके अन्तर्गत पोषण लाइनें भी हैं और तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं की अपेक्षा पर भी विचार कर लिया है;

और केंद्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि इस अधिसूचना के विद्यमान उपबंधों को सुमेल बनाया जाए;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त अधिसूचना को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) में यह उपबंध है "कि उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए, जब कभी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो यह उक्त नियमों के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त कर सकेगी;";

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना को संशोधित करने के लिए नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोकहित में होगा।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और नियम 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, —

(1) उप पैरा (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

"(i) नए उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों का विस्तार (क) सीधे तटीय नगर भाग से संबंधित या सीधे तत्काल सुविधाओं की आवश्यकता वाले उद्योगों और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं को छोड़कर;";

(2) उप पैरा (ii) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु, इस अधिसूचना से संलग्न अनुबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट पैट्रोल उत्पाद तथा द्रवित प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए सुविधाएं और द्रवित प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण के लिए सुविधाएं जो (i) सुरक्षा विनियमों, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त भी हैं, के कार्यान्वयन के अधीन रहते हुए और पर्यावरण से संबंधित सुधारात्मक और प्रत्यावर्तक उपायों के जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियत किए जाएं, कार्यान्वयन के लिए ऐसे और निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, उन क्षेत्रों, जो सी आर जेड-I के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, उक्त परिक्षेत्र के भीतर अनुज्ञात की जा सकेंगी;";

(3) उप पैरा (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) भूमि पुनरूद्धार, समुद्रजल के नैसर्गिक मार्ग को बंद करना या उसे अस्त व्यस्त करना सिवाय उनके जो पत्तनों, बन्दरगाहों, जेटियों वार्फों, घाटों, जलावतरणों, पुलों और सामुद्रिक संयोजन के और अन्य सुविधाओं के, जो अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य हैं, संनिर्माण या आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए अपेक्षित है अथवा तटीय कटाव के नियंत्रण और जलमार्गों चैनलों और पत्तनों के अनुरक्षण के लिए अथवा बालूभित्तियों के निवारण के लिए या ज्वारीय विनिमयकों, तूफानी जल निकासों के निवारण के लिए अथवा लवणता प्रवेश और मृदु जल पुनः प्रारंभ करने की संरचनाओं के लिए अपेक्षित है।

परन्तु विपणन और आवासीय परिसरों, होटलों और मनोरंजन क्रियाकलापों जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुनरूद्धार अनुज्ञेय नहीं होगा;";

(4) उप पैरा (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"निम्नलिखित को छोड़कर, बालू चट्टानों और अवस्तर सामग्री का खनन; (क) ऐसे दुर्लभ खनिज जो सी आर जेड क्षेत्रों के बाहर उपलब्ध नहीं हैं और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और निष्कर्षण;";

(5) उप पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"इस अधिसूचना के अनुबंध-I में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर सी आर जेड-I में संनिर्माण क्रियाकलाप;";

3. पैरा 3 में उपपैरा (2) में,—

(1) उप खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) रक्षा परियोजनाओं के ऐसे वर्गीकृत संचालन उपकरणों को छोड़कर, जिनके लिए पृथक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं या रक्षा अपेक्षाओं संबंधी ऐसे संनिर्माण क्रियाकलाप, जिनके लिए जलावतरण, जैटी, वार्फ, घाट आदि जैसी तटाग्र सुविधाएं अनिवार्य है; (आवासीय भवन, कार्यालय भवन, अस्पताल कांपलैक्स, कार्यशालाएं अतिविशेष मामलों के सिवाय संचालनात्मक अपेक्षाओं के अंतर्गत नहीं आएंगी, अतः इन्हें सामान्यतः सी आर जेड में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा);";

(2) उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : —

"(ii) पत्तनों और बंदरगाहों तथा लाइट हाउसों के संचालनात्मक सन्निर्माण और जैटियों, वार्फों, घाटों और जलावतरणों जैसे क्रियाकलापों, लाइपलाइनों, पारेषण लाइनों सहित संप्रेषण प्रणालियों के लिए सन्निर्माण;";

(3) उपखंड (2) में विद्यमान परंतुक का लोप किया जाएगा।

4. अनुबंध-I के पैरा 6 के उपपैरा (2) में,—

(1) "सी आर जेड-I" शीर्ष के अधीन निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"निम्नलिखित को छोड़कर सी आर जेड-I में किसी नए सन्निर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; (क) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाओं और (ख) पाइपलाइनों, पारेषण लाइनों सहित संप्रेषण प्रणालियां और (ग) सी आर जेड-I के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य प्रसुविधाओं। एल टी एल और एच टी एल के बीच पैरा 2(12) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को अनुज्ञात किया जा सकेगा व इसके अतिरिक्त एल टी एल और एच टी एल के बीच ऐसे क्षेत्रों में, जो परिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण नहीं है; निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी : (क) प्राकृतिक गैसों की खोज और निष्कर्षण, (ख) पैरा 2 के उपपैरा (2) के परंतुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलाप और (ग) ऐसे औषधालयों, विद्यालयों, लोक रैन शेल्टरों, सामुदायिक शौचालयों, पुलों, सड़कों, जेटियों, जलापूर्ति, जल निकास, मल व्यवस्था का पश्चिमी बंगाल राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मामला दर मामला आधार पर सन्निर्माण, जो सुंदरबन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के पारंपरिक निवासियों के लिए अपेक्षित हैं"।

5. अनुबंध III में,--

(1) शीर्ष में "पत्तन क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "सी आर जेड-I (i) को छोड़कर तटीय विनियमन क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।

(2) मद (xiii) के पश्चात् अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

"(xiv) द्रवित प्राकृतिक गैस (एल एन जी)"

6. जल-भूतल मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई, 1997 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक प्रदान किए गए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाणपत्र विधिमान्य है। जल-भूतल मंत्रालय के समक्ष पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए लंबित सभी प्रस्ताव इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पर्यावरण और वन मंत्रालय को अंतरित किए गए समझे जाएंगे।

[फा. सं. एच-11011/6/97-आईए-III]

डा. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :—

(i) का. आ. 595 (अ) तारीख 18 अगस्त, 1994

(ii) का. आ. 73 (अ) तारीख 31 जनवरी, 1997

(iii) का. आ. 494 (अ) तारीख 9 जुलाई, 1997

(iv) का. आ. 334 (अ) तारीख 20 अप्रैल, 1998

(v) का. आ. 873 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 1998

(vi) का. आ. 1122 (अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1998

(vii) का. आ. 998 (अ) तारीख 29 सितम्बर, 1999

(viii) का. आ. 730 (अ) तारीख 4 अगस्त, 2000

(ix) का. आ. 900 (अ) तारीख 29 सितम्बर, 2000